प्रैसनोट

कार्यालय महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर

एसीबी द्वारा बेशकीमती जमीन के गबन के मामले में चालान कोर्ट में पेश किया गया

न्यायालय ने रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव उमराव सालोदिया को भेजा जेल

जयपुर 26 अगस्त 2019।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय जयपुर के प्रकरण संख्या 203/13 में आज न्यायालय में एसीबी द्वारा करोड़ों की जमीन के धोखाधड़ी के संबंध में पेश किए चालान पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में उपस्थित रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव उमराव सालोदिया को भेजा जेल।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी नानकराम शर्मा (जिला न्यायधीश वर्तमान में रिटायर्ड) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर वर्ष 2013 में एसीबी में प्रकरण संख्या 203/13 दर्ज किया गया था। यह प्रकरण पांच लोक सेवक एवं एक गैर लोक सेवक के विरुद्ध दर्ज किया गया था। नींदड़ बेनाड जयपुर में नींदड़ के जागीरदार सुरेंद्र सिंह द्वारा नानक राम शर्मा जिला न्यायाधीश को वर्ष 1953 में जमीन दी गई जिस पर वर्ष 1960 में नानकराम शर्मा के पक्ष में नामांतरण खोला गया था । इस जमीन का वर्ष 2001 में सुरेंद्र सिंह के पुत्र रणवीर सिंह द्वारा एसडीओ के समक्ष अपील की नामांतरण खारिज करने के लिए जिसे एसडीओ द्वारा तयशुदा समय से ज्यादा अवधि (टाइम बार्ड) कहकर अपील खारिज कर दी। उक्त फैसले के खिलाफ रणवीर सिंह द्वारा संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील की जिस पर संभागीय आयुक्त ने एसडीओ को निर्देश दिए कि पुनः सुनवाई कर फैसला दिया जावे। इस पर नानकराम शर्मा एवं रणवीर सिंह द्वारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में भी अपील कर दी गई। उक्त अपील पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के तत्कालीन सदस्य हरिशंकर भारद्वाज,अध्यक्ष रेवेन्यू

बोर्ड उमराव सालोदिया द्वारा रणवीर सिंह से षड्यंत्र पूर्वक मिलीभगत कर पद का दुरुपयोग करते हुए एक तरफा फैसला दिया जिस फैसले को आधार मानते हुए आनन-फानन में तहसीलदार आमेर,गिरदावर एवं पटवारी आमेर द्वारा चार दिवस में रणवीर सिंह के पक्ष में नामांतरण खोल दिया । एसीबी के संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पद का दुरूपयोग एवं षड्यंत्र करने संबंधी आईपीसी की धाराओं में अपराध पाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक सिंघल द्वारा आज न्यायालय में कुल 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 120 बी एवं सहपठित धारा 13 (1)D,13 2 पीसी एक्ट एवं 465,464,471,193 आईपीसी की धाराओं में चालान न्यायालय में पेश किया एवं एक अभियुक्त के खिलाफ चालान 173/8 में लंबित रखा गया। चालान के समय रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव उमराव सालोदिया न्यायालय में उपस्थित रहे जिस पर न्यायालय ने उमराव सालोदिया को जेल में भेजा।

उल्लेखनीय है अभियुक्त तत्कालीन रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष उमराव सालोदिया तत्कालीन प्रवीण बोर्ड सदस्य हरिशंकर भारद्वाज तत्कालीन तहसीलदार आमेर अरविंद कुमार शर्मा तत्कालीन गिरदावर आमेर मक्खन लाल तत्कालीन हल्का पटवारी नारायण एवं रणवीर सिंह के खिलाफ आज न्यायालय में चालान पेश किया गया।